सं.I/14034/04/2009-राभा(नीति-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 13 अगस्त, 2009

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय :- हिंदी दिवस – 2009

हिंदी एक सशक्त, समृद्ध, सरल एवं लोकप्रिय भाषा होने के साथ भारतीय संस्कृति की सबल संवाहिका है। समृद्ध साहित्यिक धरोहर, लोकप्रिय हिंदी सिनेमा, दूरदर्शन के हिंदी चैनलों की लोकप्रियता, विज्ञापनों में हिंदी का बढ़ता प्रयोग, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का फैलता प्रभाव एवं सरकारी कार्यालयों में अनौपचारिक वार्तालाप में हिंदी का बढ़ता प्रयोग इसके प्रमाण हैं। परंतु राजकीय एवं औपचारिक कामकाज में अंग्रेजी के वर्तमान प्रभुत्व एवं अंग्रेजी भाषा के पक्ष में मानसिकता को हिंदी उतना प्रभावित नहीं कर पायी है जितना एक सशक्त राजभाषा से अपेक्षित है। इस परिप्रेक्ष्य में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में सुधार करने के उद्देश्य से समीक्षा करने की आवश्यकता है । राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए लागू की जा रही नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित है । इस नीति का अनुपालन करते हुए राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने वाली ऐसी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया जाये जो अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय कामकाज की भाषा के बारे में परम्परागत मानसिकता के औचित्य पर उचित परिप्रेक्ष्य में सोचने के लिए प्रेरित करे ताकि राजभाषा के प्रयोग को उसका तय संवैधानिक दर्जा मिल सके ।

2. राजभाषा नीति को लागू करने का दायित्व कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का है। राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए यह वांछनीय होगा कि सभी कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान अपने इस दायित्व का जिम्मेदारी से निर्वाहन करें । प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिनांक 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालयों में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक प्रधान अपने कार्यालयों में राजभाषा को बढ़ावा देने की गतिविधियों,

कार्यक्रमों आदि का संचालन एवं पर्यवेक्षण करें । इस संबंध में निम्न बिंदुओं के बारे में आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जाये:

(क) हिंदी को सही अर्थों में कार्यालयों में राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि मुख्यतयः अनुवाद की भाषा की वर्तमान स्थिति से हिंदी मूल सोच एवं प्रयोग की भाषा की तरफ बढ़े। इसके लिए एक बड़ा कदम यह हो सकता है कि निर्णय लेने के स्तर पर पदासीन अधिकारी हिंदी प्रयोग की तरफ अपने झुकाव का प्रदर्शन करें । हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर मूलतः हिंदी में ही तैयार किए जाएं ।

(ख) राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलायी जाने वाली योजनायें एवं कार्यक्रम केवल निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए रूटीन प्रक्रिया भर न बन जाये इसके लिए इनके स्थान पर विभिन्न तरह की नवीन एवं विवेकपूर्ण प्रोत्साहन योजनाऐं बनाकर लागू की जा सकती है जो कार्यालय विशेष की परिस्थितियों को देखते हुए ज्यादा कारगर हो ।

(ग) राजभाषा के प्रयोग की प्रगति रिपोर्ट में दिये जा रहे आंकड़ों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए हिंदी में टिप्पणियों तथा अन्य कार्य की रैंडम सैंपल के आधार पर उपयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था लागू की जा सकती है ताकि हिंदी के प्रयोग की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके ।

(घ) मानक भाषा एनकोडिंग (यूनिकोड) से भिन्न भाषा एनकोडिंग के प्रयोग ने कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग में फोंट संबंधी एक बड़ी समस्या को जन्म दे रखा है। बहुभाषी देश में सफलतापूर्वक ई-गवर्नेंस लागू करने में मानक एनकोंडिंग का अनुपालन एक आवश्यक आधार होगा । अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक कंप्यूटर पर हिंदी को मानक भाषा एनकोडिंग यानि यूनिकोड में प्रयोग के लिए सक्रिय कर दिया गया हो । संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आठवें खंड में सिफारिश संख्या 37 पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश के अनुपालन में कंप्यूटर पर यूनिकोड एनकोडिंग तथा उन्हीं सॉफ्टवेयरों का प्रयोग किया जाये जो यूनिकोड एनकोडिंग के अनुरूप हों ।

(ङ) कार्यालय के लिए खरीदे जा रहे नये कंप्यूटरों के संबंध में तभी इंस्टालेशन सर्टिफिकेट दिया जायेगा जब वे अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी

यूनिकोड एनकोडिंग में कार्य करने के लिए सक्रिय कर दिये गये हों। साथ ही की-बोर्ड को सुविधानुसार इन्स्क्रिप्ट, टाइपराइटर या फोनेटिक शैली में प्रयोग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई हो। सामान्यत: कंप्यूटर के लिए आपरेटिंग सिस्टम दे रही संस्था द्वारा ये सुविधायें नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

(च) ई-गवर्नेंस नीति के न्यूनतम एजेंडे में शामिल हिंदी की वेबसाइट के बिंदु को सही भावना से लागू करते हुए पूर्ण, अद्यतित एवं प्रमाणिक हिंदी सामग्री वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाये ।

(छ) कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होने में आ रही अड़चनों का अध्ययन करके सुधार के लिए आवश्यक कदम उठायें और इन अड़चनों को दूर करने में प्रभावी साबित हुए कदमों की सूचना राजभाषा विभाग को दी जाये ताकि दूसरे कार्यालयों को भी इनका लाभ मिल सकें।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त के आलोक में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त एवं प्रभावी कार्य-योजना तैयार करें तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं आदि को भी आवश्यक निदेश जारी करें । यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी से राजभाषा विभाग को भी सूचित करने का कष्ट करें ।

(डॉ. प्रदीप कुमार)
सचिव, भारत सरकार

No. I/14034/04/2009-O.L. (Policy-1)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language
*****

Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Date: 13th August, 2009

O F F I C E   M E M O R A N D U M

Subject:-Hindi Divas – 14th September, 2009

Besides being a powerful medium for taking forward the Indian culture, Hindi is a versatile, rich, simple and popular language. Long and rich literary heritage, wide reach of Hindi cinema, popularity of Hindi Channels, progressive use of Hindi in advertisements, increasing spread of Hindi as link language and more and more use of Hindi in informal conversation in Government offices are some examples in this regard. However, Hindi has not been able to make a substantial dent into the dominance of use of English in the official and formal work and on the mindset inclined towards the use of English language, as is expected from the Official Language. This implies that there is a need to review the programmes and activities to promote the use of Official Language Hindi with a view to bring in necessary reforms therein. The policy being implemented to promote the use of Official Language is based on motivation, incentive and harmony. In implementation of this policy, activities and programmes, which would motivate the officers/employees to deliberate upon in right perspective about the appropriateness of their traditional mindset regarding the language of official work and consequently, take the use of Official Language to its rightful constitutional status, may be undertaken for promoting the use of Official Language.

2. The responsibility for implementing the Official Language Policy lies with the Administrative Head of the office. To make the efforts for the promotion of Official Language more effective, it would be desirable that administrative heads of the offices discharge their duty diligently. Like every year, on the occasion of the Hindi Day on 14th September of this year also, administrative heads may organize & supervise the activities/ programmes to encourage the use of Official Language Hindi in their offices. In this context, necessary action on the following points may be taken:

a) To promote Hindi as Official Language in its true spirit, it is imperative to make Hindi as the language of primary thinking and use, instead of its present position as a language of translation. Display of inclination towards the use of Hindi by the Officers functioning at the decision making levels, would go a long way in this direction. Reply of the letters received in Hindi, should be drafted in Hindi only.

b) To see that the schemes and programmes being implemented for the promotion of Official Language Hindi are not reduced to mere rituals, various innovative schemes, expected to be more effective under the circumstances available in a particular office, may be formulated and implemented

c) To ensure the authenticity of the data on the use of official language being given in the progress reports, proper system of cross checks may be introduced based on the inspection of a random sample of notings and other work reported to have been done in Hindi, so that information about the actual progress in the use of Hindi could be ascertained.

d) Use of language encoding, different from the standard language encoding (i.e. Unicode), has created a big problem of font incompatibility in use of Hindi on computers. For successful implementation of e-Governance in a multilingual country, compliance with standard language encoding is an essential requirement. It is, therefore, essential that use of Hindi in standard language encoding i.e. Unicode is activated on all computers. In compliance of the order of the President issued on the recommendation No. 37 made in 8th volume of the Report of Committee of Parliament on Official Language, only Unicode encoding and the software based on Unicode encoding have to be used on computers.

e) For the new computers procured for the office work, installation certificate should be given only when they have been activated to work in Hindi in Unicode encoding in addition to English. At the same time facility for allowing the use of key-board in *Inscript, Typewriter or Phonetic* styles should be provided. Generally these facilities are provided free of cost by the company providing operating system for computers.

(f) In implementing the agenda point on the Hindi contents of the website included in the Minimum Agenda for e-Governance policy, a complete, updated and authentic website in Hindi should be provided.

(g) Necessary action may be taken to find out and to remove the obstacles coming in the way of creating conducive environment for the

use of Official Language in offices and information about the steps resulting in effective removal of these obstacles may be furnished to the Department of Official language so that other offices may also get benefited by their replication.

Ministries/Departments are requested to prepare appropriate and effective action-plan to promote the use of official language Hindi by taking into account above suggestions and issue necessary instructions to their sub-ordinate/attached offices, undertakings, banks and financial institutions etc. also. It is also requested that the Department of Official Language may kindly be informed of the action taken in this regard.

(Dr. Pradeep Kumar)
Secretary to the Government of India